

भाग-IV
(नोडल अधिकारी या प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

17	टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें (राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रति कुछ टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाँच और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय।	17	जिला सीधी के अंतर्गत महान (गुलाब सागर) परियोजना के बहरी नहर विस्तार योजना फेस-2 के निर्माण हेतु 2.8516 हेक्टेयर वनभूमि महान नहर संभाग, सीधी को उपयोग पर देने की अनुशंसा की जाती है।
----	---	----	---

तिथि: 13/10/2021

स्थान: भोपाल


13/10/2021

(सुनील अग्रवाल)
भा.व.से.
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल